न्यायालयअपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

::आदेश ::

क्रमांक-23/अ-19(3)/2017-18/2463 बैतूल दिनांक 12/03/2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, जिला विपणन अधिकारी बैतूल के पत्र क्रमांक- 240 दिनांक 31-5-2017 द्वारा, आर0 के0 व्ही0 वाय0 योजना के अन्तर्गत कृषको के कृषि उत्पादो के उपार्जन के साथ- साथ भण्डारण हेतु 1000 मिट्रिक टन क्षमता के एग्रीसाल्यूशन सेंटर का निर्माण किए जाने के लिए, मौजा आमला तहसील आमला में 1.00 एकड़ भूमि एक रूपया प्रब्याजि एवं एक रूपया वार्षिक भू-भाटक पर आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2- जिला विपणन अधिकारी बैतूल द्वारा प्रस्तावित किए अनुसार, भूमि आवंटन के संबंध में तहसीलदार आमला से प्रतिवेदन आहूत किया गया। मौजा आमला में उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण, जिला विपणन अधिकारी बैतूल के पत्र क्रमांक- 791/2018 दिनांक 11-01-2018 द्वारा, मौजा काजली तहसील आमला स्थित खसरा नंबर 257 में से भूमि उपलब्ध कराने हेतु तहसीलदार आमला से अनुरोध किया गया। तहसीलदार आमला द्वारा, उक्त प्रस्ताव के अनुसार विषयांकित के संबंध में विधिवत् जॉच उपरांत अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई के माध्यम से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:-

(1)- मौजा काजली तहसील आमला स्थित खसरा नंबर 257 रकबा 1.665 हेक्टेयर में से 1.00 एकड़ भूमि आवेदित प्रयोजन हेतु आवंटित किए जाने के संबंध में विधिवत् उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(2)- दिनांक 19-11-2017 को आयोजित ग्रामसभा में सर्वसम्मति से, मौजा काजली स्थित खसरा नंबर 257 में से 01 एकड़ भूमि आवेदित प्रयोजन हेतु हस्तांतरित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है।

(3)-वर्तमान राजस्व अभिलेख (खसरा) वर्ष 2017-18 के अनुसार मौजा काजली तहसील आमला स्थित खसरा नंबर 257 रकबा 1.665 हेक्टेयर भूमि घॉस मद में दर्ज है। अधिकार अभिलेख वर्ष 1971-72 में भी उक्त खसरा नंबर घॉस मद में ही दर्ज है।

(4)- प्रकरण में अंकित तहसीलदार आमला के प्रतिवेदन के अनुसार मौजा काजली का मकबूजा रकबा 254.136 हेक्टेयर है, तथा ग्राम में उपलब्ध चरनोई का रकबा 14.891 हेक्टेयर उपलब्ध है। ग्राम के मकबूजा रकबा के 2 प्रतिशत के मान से ग्राम में न्यूनतम 05.082 हेक्टेयर चरनोई का रकबा उपलब्ध रहना अनिवार्य है, परन्तु ग्राम में वर्तमान में 14.891 हेक्टेयर चरनोई का रकबा उपलब्ध है। ग्राम में उपलब्ध चरनोई के रकबे में से 01 एकड़ अर्थात 0.405 हेक्टेयर भूमि आवेदित प्रयोजन हेतु आवंटित करने की दशा में भी चरनोई का न्यूनतम आरक्षित रकबा प्रभावित नहीं होगा।

3- म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग भोपाल के पत्र कमांक एफ 6-5-2014/सात /नजूल /दिनांक 22-2-2014 द्वारा जारी निर्देश के अनुसार म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित एवं प्राथमिक विपणन सहकारी समितियों को शासकीय भूमि एक रूपए प्रब्याजि एवं एक रूपए भू-भाटक पर आवंटित करने हेतु कलेक्टर को अधिकृत किया गया है तथा कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक-1/2011/अधी./10842, दिनांक 8-11-2016 तथा समसंख्यक आदेश क्रमांक:- 2489 दिनांक 25-2-2017 द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र

खण्ड– चार –एक के अन्तर्गत शासकीय भूमि अंतरण संबंधी समस्त प्रकरणो के निराकरण हेतु अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4– अतएव तहसीलदार आमला /अनु0 अधि0 (रा.) मुलताई के प्रतिवेदन/ अनुशंसा के आधार पर मौजा काजली प.ह.नं.18 तहसील आमला स्थित भूमि खसरा नंबर 257 रकबा 1.665 हेक्टे. मद घॉस में से 0.405 हेक्टेयर भूमि (जिसे नक्शे में लालस्याही से चिन्हित किया गया है) को आबादी घोषित करते हुए, आर0 के0 व्ही0 वाय0 योजना के अन्तर्गत कृषको के कृषि उत्पादो के उपार्जन के साथ– साथ भण्डारण हेतु एग्रीसाल्यूशन सेंटर का निर्माण किए जाने के लिए जिला विपणन अधिकारी बैतूल को एक रूपए प्रब्याजि एवं एक रूपए भू–भाटक पर निम्नलिखत शर्तो के अधीन आवंटित की जाती है।

(1)– आवंटित भूमि का उपयोग केवल आवेदित प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा।

(2)– भूमि पर प्रस्तावित कार्य 6 माह के भीतर प्रारंभ किया जाकर एक वर्ष में पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।

(3) शासन के प्रतिनिधि अधिकृत व्यक्ति तथा जिला कलेक्टर या उनके प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग हेतु तथा शर्तो के पालन का निरीक्षण करने के लिए कभी भी भूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) शर्तो का उल्लंघन पाया जाने की स्थिति में भूमि वापस लेकर पूर्वानुसार शासन में निहित की जा सकेगी।

(मूलचन्द वर्मा)
अपर कलेक्टर,
जिला–बैतूल.

पृ0क्र0:23/अ–19(3)/2017–18/2463 बैतूल दिनांक 12 / 03/2018

प्रतिलिपिः–

1– अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई की ओर सूचनार्थ।

2– तहसीलदार आमला ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। राजस्व अभिलेख में यथाआवश्यक संशोधन करके संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

3– जिला विपणन अधिकारी बैतूल की ओर सूचनार्थ।

4– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

5– जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर,
जिला–बैतूल

16/03/18